फर्द अहकाम
(नियम 15)

अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

गजेन्द्र सिंह बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मुकदमा नम्बरः– 144 सन् 2017
RCMS No. 2017/00 202

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
07.11.17	यह प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलान्ट श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप ग्राम व पोस्ट नुनहेरा तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर ने कनिष्ठ अभियन्ता, विद्युत विभाग सैंपऊ के विरूद्ध पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष दिनांक 20.02.2017 को सूचना चाहने बाबत आवेदन किया जाना अंकित है। तथा अपील निर्धारित समायावधि (30 दिवस) व्यतीत हो जाने के उपरान्त दिनांक 06.11.2017 को पेश की है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रावधान है कि ***"ऐसा कोई व्यक्ति जो धारा 7 की उप–धारा (1) या उपधारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिश्चय प्राप्त नही करता है या केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या, यथास्थिति, राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, ऐसी अवधि की समाप्ति से या ऐसे विनिश्चिय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा जो प्रत्येक लोक प्राधिकारी में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या, यथास्थिति, राज्य लोक सूचना अधिकारी से रैंक में वरिष्ठ है:*** ***परन्तु ऐसा अधिकारी तीस दिन की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि अपीलार्थी किसी पर्याप्त कारण से उक्त अपील समय रहते फाइल नही कर सका था।" ।*** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत *कनिष्ठ अभियन्ता, विद्युत विभाग सैंपऊ* के विरूद्ध अपील सुनने हेतु यह न्यायालय सक्षम नही है। अपीलान्ट ने प्रथम अपील 30 दिवस की निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नही की है नाही अपील बिलम्ब से पेश करने के सम्बन्ध में कोई कारण अंकित किया है। अतः अपील को सक्षम अपील अधिकारी को स्थानान्तरित किया जाना उचित नही समझते है। अतः अधिनियम की धारा *19(1) के तहत* अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलान्ट को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो प्रकरण नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर धौलपुर	829 10/11/17